INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

UPSC – CSE

(संघ लोक सेवा आयोग)

(हिंदी माध्यम)

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 10

भारत की अर्थव्यवस्था (भाग-2)

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**UPSC-CSE (IAS/IPS/IFS) (हिंदी माध्यम)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये नोट्स पाठकों को **संघ लोक सेवा आयोग** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य)"** में पूर्ण संभव मदद करेंगें।*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है। अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp कीजिए - https://wa.link/6bx90g

Online Order कीजिए - https://shorturl.at/SgSVX

मूल्य : ₹	**संस्करण : नवीनतम**

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
24.	भारत में बीमा • परिचय • इतिहास और विकास • बीमा के सिद्धांत • बीमा बैंकिंग क्षेत्र से कैसे भिन्न है? • बीमा के प्रकार • डाक जीवन बीमा • सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना • भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) • पुनः बीमा • भारत में बीमा क्षेत्र का विनियामक (IRDAI) • पेंशन	1
25.	अंतर्राष्ट्रीय संगठन • परिचय • ब्रेटन वुड्स संस्थान • विश्व बैंक • अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) • सामान्य शुल्क और व्यापार समझौता (GATT) • गैर-ब्रेटन वुड्स संस्थान • बहुपक्षीय विकास बैंक • ब्रिक्स बैंक (BRICS) • एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) • विश्व व्यापार संगठन (WTO) • अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत • सार्क (SAARC) • आसियान (ASEAN) • बिम्सटेक (BIMSTEC) • ओशियन-रिम समूह (Ocean-RIM) • हिंद महासागर रिम संघ (IORA) • एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) • G20, G7 • अन्य विविध समूह • निर्यात नियंत्रण समूह	15
26.	विनिमय दर प्रणाली	37

27.	आर्थिक योजना • योजना आयोग बनाम नीति आयोग • प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	48
28.	समावेशी विकास	53
29.	बुनियादी ढाँचा / अवसंरचना • परिचय • आधारिक संरचना के प्रकार • आधारिक संरचना और आर्थिक विकास • खनन और बुनियादी उद्योग • इस्पात मंत्रालय • रसायन और उर्वरक मंत्रालय • पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय • खान मंत्रालय • खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2015 • खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश 2020 • ऊर्जा : बिजली • जल और स्वच्छता • जहाजरानी और बंदरगाह • परिवहन : सड़क	57
30.	कृषि • परिचय • दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कृषि के प्रकार • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) • राष्ट्रीय जलस्रोत परियोजना • मृदा पोषण • ऑर्गेनिक खेती (जैविक कृषि) • परंपरागत कृषि विकास योजना • हरित क्रांति • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) • कृषि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी • सरकारी योजनाएँ • सहकारी कृषि • कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (ठेका खेती) • निर्माण और उद्योग • उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण	93
31.	चक्रीय परिपत्र अर्थव्यवस्था • औद्योगिक गलियारे • मेक इन इंडिया के लिए रणनीति • स्टार्टअप इंडिया (2016)	127

	• इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019
	• बौद्धिक संपदा अधिकार
	• बाल श्रम (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016
	• कपड़ा और एमएसएमई क्षेत्र
	• व्यापार की निवल शर्तें
	• भारत के रणनीतिक तेल भंडार
	• भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें
	• चालू खाता और सोने का आयात
	  ○ आरबीआई की 80:20 योजना (2013-14)
	  ○ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना (2015)
	  ○ स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (2015)
	  ○ भारतीय (सॉवरेन) स्वर्ण सिक्के (2015)
	• जीआई टैग
	• निर्यात और एसईजेड (SEZ)
	• ई-गवर्नेंस पहल
	• विदेश व्यापार नीति के लिए चुनौती
	• पूंजी खाता : एफडीआई / एफपीआई
	• भारत का भुगतान संतुलन संकट (1991)
	• आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार	

अध्याय - 24

भारत में बीमा

अर्थ और परिभाषा

बीमा एक ऐसा अनुबंध या नीति है जिसके तहत कोई व्यक्ति या किसी कंपनी या संस्था को वित्तीय हानि या किसी अन्य प्रकार के नुकसान से सुरक्षा प्राप्त होती है। बीमा एक हेजिंग और जोखिम प्रबंधन प्रणाली है, जो अनिश्चित हानि और क्षति से बचाव के लिए होती है। बीमा पॉलिसी एक ऋण उपकरण/कानूनी अनुबंध है जो मृत्यु या क्षति जैसी घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है।

इस अनुबंध में दो पक्ष होते हैं:

1. **बीमाकर्ता (Insurer/Assurer)** - वह पक्ष जो जोखिम का वहन करता है।
2. **बीमाधारक (Insured/Assured)** - वह व्यक्ति, समूह, या संपत्ति जिसके लिए बीमा पॉलिसी जारी की जाती है।

❖ भारत में बीमा का इतिहास और विकास

भारत में बीमा का एक गहरा ऐतिहासिक महत्व है। इसका उल्लेख मैनू (मनुस्मृति), यज्ञवल्क्य (धर्मशास्त्र) और कौटिल्य (अर्थशास्त्र) की रचनाओं में मिलता है। ये रचनाएँ उन संसाधनों के एकत्रीकरण की बात करती हैं जिन्हें आपदा के समय (जैसे आग, बाढ़, महामारियाँ और अकाल) में पुनः वितरित किया जा सकता था।

1. **1818**: भारत में जीवन बीमा व्यवसाय की शुरुआत हुई जब कोलकाता में **ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी** की स्थापना यूरोपीय व्यापारियों द्वारा की गई।
2. **1870**: **बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस** भारत की पहली स्वदेशी जीवन बीमा कंपनी थी जो बंबई प्रांत में शुरू हुई।
3. **1912**: **भारतीय जीवन बीमा कंपनियाँ अधिनियम, 1912** जीवन बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए पहला विधायी कदम था। हालांकि, नियम सख्त नहीं थे, जिसके कारण बीमा उद्योग को **यूएसए में आई महामंदी** के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ा।
4. **1938**: जनता के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से पहले के विधायी प्रावधानों को संकलित और संशोधित करके **बीमा अधिनियम, 1938** लागू किया गया, जिसमें सख्त नियामक प्रावधान थे।
5. **1956**: जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया और **जीवन बीमा निगम (LIC)** की स्थापना की गई। LIC ने 90 के दशक के अंत तक एकाधिकार रखा, जब बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए फिर से खोला गया।
6. **1990 के दशक के प्रारंभ में**: बीमा क्षेत्र को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई।
7. **1993**: सरकार ने बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए **आर. एन. मल्होत्रा समिति** का गठन किया।
8. **1999**: मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर, **बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA)** की स्थापना की गई, जिसे 2000 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में कानूनी रूप से मान्यता दी गई। इसका उद्देश्य बीमा उद्योग को नियंत्रित करना और उसे विकसित करना था।
9. **2000**: **जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC)** की सहायक कंपनियों को स्वतंत्र कंपनियों के रूप में पुनर्गठित किया गया और GIC को एक राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता (National Re-insurer) में बदल दिया गया।

बीमा क्षेत्र और उसकी विशेषताएँ

बीमा क्षेत्र एक विशाल और तीव्र गति से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जो 15-20% की दर से बढ़ रहा है। बैंकिंग सेवाओं के साथ मिलकर, बीमा सेवाएँ देश के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** में लगभग 7% का योगदान करती हैं। एक अच्छी तरह से विकसित और परिष्कृत बीमा क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए एक वरदान साबित होता है क्योंकि यह आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक फंड प्रदान करता है, साथ ही देश की जोखिम लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है।

जैसे बैंकिंग उद्योग, स्वतंत्रता के बाद बीमा उद्योग को भी घोटालों, अनियमितताओं, वित्तीय समावेशन के लक्ष्य और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में, भारत में **57 बीमा कंपनियाँ** हैं, जिनमें से 46 निजी क्षेत्र से हैं। इनमें **24 जीवन बीमा** और **33 गैर-जीवन बीमा** कंपनियाँ हैं।

❖ बीमा के सिद्धांत

1. **Uberrima Fides (सच्ची ईमानदारी)**: इसमें यह सिद्धांत है कि बीमा का अनुबंध पूरी तरह से सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होना चाहिए। इसमें बीमाधारक को किसी भी प्रकार की छुपी जानकारी को न छुपाना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा में मधुमेह का खुलासा करना।
2. **Indemnity (क्षतिपूर्ति)**: यह सिद्धांत कहता है कि केवल वास्तविक और वास्तविक नुकसान को ही कवर किया जाएगा, न कि काल्पनिक नुकसान को। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने किसी कारणवश **UPSC CSE** परीक्षा नहीं दी तो उसे बीमा का दावा नहीं मिलेगा क्योंकि यह एक काल्पनिक और वास्तविक नुकसान नहीं है।
3. **Subrogation (उपस्थापन)**: इसका अर्थ है कि बीमाकर्ता **लापरवाह तीसरे पक्ष** से नुकसान की भरपाई कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी अन्य की गलती से आपके सामान को नुकसान हुआ है, तो बीमा कंपनी उस व्यक्ति से नुकसान की वसूली कर सकती है।

4. ***Causa Proxima (सीधा कारण)***: यह सिद्धांत कहता है कि **नुकसान का सीधा लिंक** उस घटना से होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी आग लगने की घटना के कारण नुकसान हुआ है, तो इसका बीमा में कवर किया जाएगा अगर आग से नुकसान हुआ हो।
5. ***Insurable Interest (बीमित हित)***: यह सिद्धांत कहता है कि यदि "जोखिम-x" नहीं घटित होता है, तो ग्राहक उसी स्थिति में रहेगा, लेकिन यदि "जोखिम-x" घटित होता है, तो ग्राहक बुरी स्थिति में पहुँच सकता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को बीमा खरीदने के लिए बीमित वस्तु या जीवन पर वास्तविक और वैध हित होना चाहिए।

बीमा और बैंकिंग क्षेत्र में अंतर

1. बीमा पॉलिसी एक ऋण उपकरण (Debt Instrument) है, जबकि बैंकिंग क्षेत्र में ऋण और जमा जैसे उत्पाद होते हैं।
2. बीमा कंपनियाँ लायबिलिटी-ड्रिवन वित्तीय मध्यस्थ होती हैं, यानी वे अपनी देनदारियों के तहत काम करती हैं, जबकि बैंकिंग कंपनियाँ उधारी और जमा के आधार पर काम करती हैं।
3. रिस्क कैपिटल (Risk Capital) या सॉल्वेंसी कैपिटल की दरें बीमा कंपनियों में काफी अधिक होती हैं। उदाहरण के लिए, बैंकों में CRR (कैश रिजर्व रेशियो) और SLR (स्टैंट्युटरी लिक्विडिटी रेशियो) जैसे नियामक मानदंड होते हैं, जो जोखिम के प्रबंधन में मदद करते हैं।
4. पॉलिसी प्रीमियम बीमा कंपनियाँ सांख्यिकी, संभावना सिद्धांत (Probability Theory), जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों (Demographic Trends), वित्तीय बाजारों में वापसी (Return in Financial Markets) और प्रचलित बाजार परिस्थितियों पर आधारित तय करती हैं, जबकि बैंकों का ऋण और ब्याज दरें अलग मानदंडों पर आधारित होती हैं।
5. बीमा को "बेचा" जाता है, परंतु कभी "खरीदा" नहीं जाता (सिवाय कुछ अनिवार्य बीमा जैसे वाहन बीमा), जबकि बैंकिंग उत्पाद जैसे ऋण या बचत खाता ग्राहकों द्वारा अक्सर "खरीदे" जाते हैं।

बीमा क्षेत्र का महत्व

1. जनता की बचत को वित्तीय संपत्तियों में संचित करना
बीमा क्षेत्र सार्वजनिक बचत को वित्तीय संपत्तियों में रूपांतरित करने में मदद करता है। यह बचत को निवेश में बदलने का एक प्रभावी तरीका है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
2. सरकारी योजनाओं पर वित्तीय दबाव कम करना
बीमा क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन में सरकार के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करता है, जिससे सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) कम होता है।
3. संकट की स्थिति में सहारा देना
बीमा क्षेत्र संकट की स्थिति (जैसे स्वास्थ्य, दुर्घटना, आदि) में लोगों को सहायता प्रदान करने के रूप में एक स्थिरीकरण कार्य करता है। यह वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करता है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार
IRDA (बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) के नियमन के तहत, बीमा कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों में न्यूनतम व्यवसाय करने की आवश्यकता होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार होता है।
5. संपत्ति के संचरण में मदद
बीमा एक वित्तीय उपकरण है जो बचत को निवेश में बदलता है, जिससे पूंजी का परिपत्र प्रवाह (Circular Flow of Capital) सुनिश्चित होता है। यह आर्थिक गतिविधियों के लिए धन का प्रवाह सुनिश्चित करता है।
6. आर्थिक जोखिम उठाने में वृद्धि
एक अच्छी तरह से विकसित बीमा क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों में जोखिम उठाने की क्षमता को बढ़ावा देता है। यह व्यवसायों और व्यक्तियों को नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए प्रेरित करता है।
7. परिवारों को जीवन या स्वास्थ्य के नुकसान की स्थिति में मदद
बीमा कंपनियाँ जीवन या स्वास्थ्य के नुकसान की स्थिति में परिवारों को अत्यधिक सहारा प्रदान करती हैं, जिससे बीमाधारक और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है।
8. आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश
बीमा कंपनियाँ प्रीमियम के कुछ हिस्से को सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे में निवेश करती हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
9. उद्यमियों को साहसिक निर्णय लेने में सहायता
बीमा उद्यमियों को साहसिक और बड़े निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि बीमा उन्हें संभावित नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है।
10. दीर्घकालिक पूंजी के रूप में निवेश
बीमा कंपनियों के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियाँ (Assets Under Management) दीर्घकालिक पूंजी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो आधारभूत संरचना विकास जैसे दीर्घकालिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक पूल के रूप में काम करती हैं।

बजट 2019 में बीमा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित परिवर्तन

- ***विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)***: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के संघीय बजट में कहा था कि 100% FDI बीमा मध्यस्थों (Insurance Intermediaries) में अनुमति दी जाएगी। इससे बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को बढ़ावा मिलेगा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी,

उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और आर्थिक वृद्धि में मजबूती आएगी।

- **FDI सीमा:** बीमा कंपनियों में FDI सीमा 49% तक ही रही है, जो स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के तहत लागू होती है। हालांकि, यह बदलाव केवल बीमा मध्यस्थों के लिए लागू होगा, जबकि बीमा कंपनियों में विदेशी स्वामित्व की सीमा 49% पर बनी रहेगी।

❖ भारत में बीमा क्षेत्र का बाजार आकार

भारत में बीमा क्षेत्र का कुल बाजार आकार 2020 तक 280 अरब अमेरिकी डॉलर (USD) तक पहुंचने का अनुमान है।

भारत में 2018-19 वित्तीय वर्ष में कुल प्रीमियम 94.48 अरब अमेरिकी डॉलर (USD) तक पहुँच गया था। इसमें से:

भारत में बीमा क्षेत्र

1. वर्ल्ड मार्केट में हिस्सेदारी:
   भारत वर्तमान में विश्व के कुल बीमा प्रीमियम का 1.5% से भी कम और विश्व के जीवन बीमा प्रीमियम का लगभग 2% हिस्सा रखता है, हालांकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।
2. जीवन बीमा क्षेत्र:
   भारत का जीवन बीमा क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसमें लगभग 360 मिलियन पॉलिसी हैं। यह आंकड़ा अगले पांच वर्षों में 12-15 प्रतिशत के संयोजित वार्षिक विकास दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है।
3. बीमा क्षेत्र का लक्ष्य:
   बीमा उद्योग का लक्ष्य 2020 तक बीमा क्षेत्र की पैठ (penetration) को 5% तक बढ़ाने का है।
4. FDI सीमा में वृद्धि:
   भारत ने बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया है, ताकि इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिले।

बीमा के विभिन्न श्रेणियाँ:

1. **गैर-जीवन बीमा (Non-life Insurance):**
   2018-19 में इस क्षेत्र में निजी कंपनियों का बाजार हिस्सेदारी 54.68% था।
2. **जीवन बीमा (Life Insurance):**
   2018-19 में इस क्षेत्र में निजी कंपनियों का बाजार हिस्सेदारी 33.74% था।

भारत का बीमा उद्योग

- **कुल बीमा उद्योग का आकार:**
  बीमा क्षेत्र एक 72 अरब अमेरिकी डॉलर (USD) का उद्योग है और यह 15-20% की तेज़ गति से बढ़ रहा है।
- **कुल जीडीपी में योगदान:**
  बैंकिंग सेवाओं के साथ मिलकर बीमा सेवाएं देश की जीडीपी में लगभग 7% का योगदान करती हैं।

बैंकिंग क्षेत्र बनाम बीमा क्षेत्र

वर्ष	बैंकिंग क्षेत्र	बीमा क्षेत्र
नियामक (Regulator)	RBI (भारतीय रिजर्व बैंक)	IRDAI (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी)
1948-49	RBI का राष्ट्रीयकरण	
1955-56	SBI का राष्ट्रीयकरण	जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण और LIC का गठन
1969	14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण	
1972		GIC अधिनियम – GIC और इसके 4 उपक्रमों ने 107 (निजी स्वामित्व वाले) सामान्य बीमा कंपनियों का अधिग्रहण किया
1980	6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण	
विभिन्न सुधार (Reforms)	1990 के दशक में: नारसिम्हम समिति I (1991) और II (1998) + बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण और उदारीकरण	1993 में: मल्होत्रा समिति + निजी बीमा कंपनियों की अनुमति + FDI को उदारीकरण
सुरक्षात्मक उपाय (Safeguards)	CRR, SLR, BASEL	निवेश पैटर्न, सॉल्वेंसी मार्जिन। उदाहरण के लिए, बीमा कंपनियों को "निर्धारित प्रतिशत" के रूप में जी-सेक (Government Securities) में निवेश करना चाहिए, वे निजी कंपनियों के शेयरों या डिबेंचरों में "निर्धारित

वर्ष	बैंकिंग क्षेत्र	बीमा क्षेत्र
		प्रतिशत" से अधिक निवेश नहीं कर सकतीं। उन्हें उन कंपनियों में निवेश नहीं करना चाहिए जिनकी क्रेडिट रेटिंग "AA" से कम हो, आदि।
वित्तीय समावेशन और कल्याण लक्ष्य (Financial Inclusion and goal of Welfare)	प्राथमिक क्षेत्र उधारी (PSL) मानदंड, बिना बैंकिंग वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 25% शाखाएँ	ग्रामीण और सामाजिक दायित्व मानदंड - हर वर्ष "निर्धारित" संख्या में पॉलिसियां ग्रामीण क्षेत्रों, पीएच / पिछड़े क्षेत्रों आदि में बेची जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनियों को "निर्धारित" प्रतिशत को किफायती आवास परियोजनाओं, राज्य सरकार के अग्निशमन उपकरणों आदि में निवेश करना आवश्यक है।
वितरण चैनल (Delivery Channel)	बैंक शाखा, व्यवसायी प्रतिनिधि एजेंट (Bank-Mitra)	एजेंट और ब्रोकर, बैंक द्वारा बीमा बेचना (Banc assurance), सर्वेक्षक/हानि मूल्यांकनकर्ता, तृतीय पक्ष प्रशासक (जैसे अस्पताल जहां उपचार प्रदान किया जाता है)

बीमा के प्रकार (Types of Insurance)

जीवन बीमा (Life Insurance)

जीवन बीमा वह बीमा है जो बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर या एक निश्चित समय अवधि के बाद एक निश्चित राशि का भुगतान करता है।

1. **एंडॉवमेंट बीमा (Endowment Insurance)**
   एंडॉवमेंट पॉलिसी एक जीवन बीमा अनुबंध है, जिसे एक निश्चित अवधि (जैसे 10-20 साल) के बाद या मृत्यु पर एक एकमुश्त राशि का भुगतान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक छोटी अवधि वाली पॉलिसी होती है।
2. **सम्पूर्ण जीवन बीमा (Whole Life Insurance)**
   सम्पूर्ण जीवन बीमा बीमित व्यक्ति के जीवनकाल तक कवरेज प्रदान करता है। मृत्यु लाभ देने के अलावा, इसमें एक बचत घटक भी होता है जिसमें नकद मूल्य जमा हो सकता है। यह लंबी अवधि की पॉलिसी होती है (जैसे 35-40 साल)।
3. **टर्म बीमा (Term Insurance)**
   टर्म बीमा एक प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसी होती है, जो एक निश्चित समय अवधि (जैसे 10, 15, 20 साल) के लिए कवरेज प्रदान करती है। यह कम प्रीमियम वाली पॉलिसी होती है। उदाहरण के लिए **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना**।
4. **यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी (Unit Linked Insurance Policy - ULIP)**
   यह एक मल्टी-फेसटेड उत्पाद होता है जो बीमा कवरेज और निवेश को एक साथ जोड़ता है। इसमें निवेशकों को निवेश का एक हिस्सा बीमा और बाकी हिस्सा निवेश के लिए दिया जाता है।

पोस्ट ऑफिस जीवन बीमा (Post Office Life Insurance)

यह योजना प्रारंभ में केवल डाक कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी (1884), लेकिन बाद में इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए भी विस्तारित किया गया। वर्तमान में यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 6 योजनाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6 योजनाएं प्रदान करती है।

सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना (Sampoorna Bima Gram Yojana - 2017)

यह योजना मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें हर जिले में कम से कम एक गांव को चुना जाता है और उस गांव के सभी घरों को कम से कम एक ग्रामीण पोस्टल जीवन बीमा पॉलिसी से कवर किया जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC - Life Insurance Corporation of India)

- 1956 में भारतीय जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था और LIC का गठन किया गया। यह एक पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जो निजी जीवन बीमा कंपनियों को अधिग्रहित करने के लिए बनाई गई थी।
- 2018 में LIC ने IDBI बैंक में बहुमत शेयरधारक बनकर अपनी स्थिति को मजबूत किया।
- 2019 में **RBI** ने IDBI बैंक को 'निजी क्षेत्र' के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया।
- LIC का मुख्यालय मुंबई में है और इसका कॉर्पोरेट पत्रिका "**योगक्षेम**" है, जिसका अर्थ है "कल्याण" (Rigveda)। LIC का आदर्श वाक्य है "**योगक्षेमम वहाम्यहम्**" (जिसका अर्थ है "मैं अपने भक्तों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता हूँ" - गीता)।

LIC के राष्ट्रीयकरण के दो प्रमुख उद्देश्य:

1. जीवन बीमा के संदेश को फैलाना और समाज की सुरक्षा को बढ़ाना।
2. लोगों की बचत (जो प्रीमियम के रूप में एकत्रित होती है) को राष्ट्र निर्माण के लिए संचित करना।

LIC का विनिवेश (2020)

एक बार **₹30 पंजीकरण शुल्क** लिया जाता है। प्रीमियम सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है, जिससे लाभार्थी को किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना पड़ता।

लाभ:

- **₹30,000** तक का चिकित्सा उपचार कवर किया जाता है (स्मार्ट कार्ड + कैशलेस उपचार) – यह कवर पहले से मौजूद बीमारियों और निजी अस्पतालों के लिए भी लागू होता है।
- **₹25,000** तक का कवर आकस्मिक मृत्यु के लिए।

वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS):

यदि लाभार्थी की आयु **60 वर्ष** या उससे अधिक है, तो उन्हें उपचार के लिए अतिरिक्त **₹30,000** प्रदान किया जाता है।

पीएम-जन आरोग्य योजना में समाहित:

RSBY और SCHIS को PM-Jan Arogya Yojana (PMJAY) के तहत 2018 में समाहित किया गया।

3. **आयुष्मान भारत (PM-JAY):**

NITI Aayog के अनुसार, भारत में 80% से अधिक चिकित्सा और अस्पताल खर्च आउट-ऑफ-पॉकेट (OOP) खर्च से होता है, जो अस्पताल में भर्ती होने के बाद गरीबी का मुख्य कारण बनता है।

भारत में इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में पिछले 10 वर्षों में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। चिकित्सा आपातकाल और अस्पताल में भर्ती होने से ग्रामीण परिवारों को अपनी मेहनत की जमा पूंजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप गरीबी का चक्र बढ़ता है।

इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने **आयुष्मान भारत योजना** की घोषणा की, जो दो प्रमुख घटकों में बांटी गई:

1. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (PHC) को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (Health & Wellness Centers) में परिवर्तित किया जाएगा।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (AB-NHPS), जिसे बाद में PM जन आरोग्य योजना (PMJAY) के नाम से जाना गया।

PMJAY ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) को समाहित किया।

आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के लाभ:

- ₹5 लाख तक का कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष, जो सैकेन्डरी और टर्शियरी केयर अस्पताल में भर्ती के लिए उपलब्ध है।
- कैशलेस इलाज की सुविधा, जिसे सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में लागू किया गया है।
- इसका उद्देश्य 50 करोड़ भारतीयों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करना है।
- योजना का मुख्य ध्यान ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों पर है, ताकि उन्हें सस्ती, सुलभ और गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल मिल सके।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) – 2018

PMJAY योजना का उद्देश्य भारत के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जो माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर करता है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. **प्रारंभिक बीमारी कवर:**
   इस योजना के तहत, सभी पूर्व-निर्धारित बीमारियों को पहली तारीख से ही कवर किया जाता है, जिसका मतलब है कि लाभार्थियों को किसी भी बीमारी के इलाज में कोई रुकावट नहीं होगी, चाहे वह पहले से मौजूद बीमारी हो या नया इलाज।
2. **प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर:**
   योजना में अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के इलाज के खर्च को भी कवर किया जाता है, जिसमें दवाइयाँ और अन्य चिकित्सा सेवाएँ शामिल हैं।
3. **कैशलेस और पेपरलेस उपचार:**
   इस योजना के तहत लाभार्थियों को सर्विस प्रदाता (अस्पतालों) में कैशलेस और पेपरलेस तरीके से इलाज की सुविधा मिलती है, जिससे मरीजों को सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में बिना किसी वित्तीय दबाव के उपचार मिल सके।
4. **लाभार्थियों की पहचान:**
   PMJAY के लाभार्थियों की पहचान सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011) डेटा के आधार पर की जाती है। यह डेटा यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि योजना के लाभ सिर्फ गरीब और कमजोर वर्ग तक पहुंचे।
5. **लक्षित परिवारों की संख्या:**
   इस योजना का लक्ष्य 74 करोड़ से अधिक कमजोर परिवारों को कवर करना है, जो लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगा।
6. **परिवार के आकार या आयु पर कोई प्रतिबंध नहीं:**
   इस योजना में परिवार के आकार या परिवार के सदस्य की आयु पर कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब है कि सभी उम्र के लोग और परिवार आकार चाहे जैसे भी हों, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
7. **उपचार उपलब्धता:**
   उपचार सभी सार्वजनिक अस्पतालों और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगा। इन अस्पतालों में

अध्याय - 26:

विनिमय दर प्रणाली

किसी भी मुद्रा की विनिमय दर उस देश की मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय बाजार में आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित की जाती है।
उदाहरण के लिए, भारतीय रुपये की डॉलर के मुकाबले कीमत उस स्थिति पर निर्भर करती है कि डॉलर की कितनी मांग है। यदि डॉलर की मांग बढ़ती है, तो डॉलर की कीमत बढ़ती है और डॉलर की सराहना होती है, जबकि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अवमूल्यित (Depreciate) हो जाता है।

विनिमय दर (Exchange Rate):
एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा में जोड़ी जाती है, उसे विनिमय दर कहते हैं। जैसे, $1 = ₹70, अर्थात ₹70 की कीमत में एक डॉलर खरीदा जा सकता है। इसे नॉमिनल विनिमय दर कहा जाता है क्योंकि यह मुद्राओं के मुद्रास्फीति या क्रय शक्ति को ध्यान में नहीं रखता है।

विदेशी मुद्रा बाजार (Foreign Exchange Market):
यह वह स्थान है जहां मुद्राओं का विनिमय होता है। इन बाजारों में कार्यरत डीलरों को प्राधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर (Authorized Forex Dealers - AD) कहा जाता है। ये बैंक या गैर-बैंक हो सकते हैं। इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक है।
ये डीलर खरीद और बिक्री के लिए अलग-अलग मूल्य रखते हैं, ताकि वे बीच का लाभ कमा सकें। उदाहरण के लिए, ICICI बैंक में डॉलर का खरीद मूल्य ₹67.95 और बिक्री मूल्य ₹72.76 हो सकता है।
इसके अलावा, विदेशी मुद्रा लेन-देन पर **GST** भी लगता है, हालांकि इसका दर इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी राशि का विनिमय किया गया है। उदाहरण के लिए, अगर ₹10 लाख की विदेशी मुद्रा का लेन-देन होता है, तो केवल ₹3000 तक की राशि पर GST लगाया जाता है, जिससे ₹540 GST का कर बनता है (18% GST दर)।

टॉबिन टैक्स (Tobin Tax):
अमेरिकी अर्थशास्त्री **जेम्स टॉबिन** ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में सट्टा व्यापार और अस्थिरता को कम करने के लिए 0.1% से 0.5% तक के टॉबिन टैक्स का सुझाव दिया था। हालांकि, अगर ₹10 लाख का लेन-देन होता है, तो 0.1%-0.5% के हिसाब से ₹1,000 से ₹5,000 तक टैक्स बनता है, लेकिन GST कम होने के कारण इसे टॉबिन टैक्स नहीं कहा जा सकता है।

विनिमय दर प्रबंधन के उद्देश्य (Objectives of Exchange Rate Management in India):
1. **आर्थिक स्थिरता:** भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक आर्थिक स्थितियों को सही तरीके से भारतीय रुपये की बाहरी कीमत में दिखाना।
2. **विनिमय दर की अस्थिरता को कम करना:** ताकि विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन सुचारू और व्यवस्थित तरीके से हों।
3. **विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त स्तर बनाए रखना:** ताकि किसी भी बाहरी मुद्रा संकट का सामना किया जा सके।
4. **स्वस्थ विदेशी मुद्रा बाजार का विकास:** ताकि बाजार की बाधाओं को समाप्त किया जा सके और विदेशी मुद्रा व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके।
5. **सट्टा गतिविधियों पर नियंत्रण:** ताकि विदेशी मुद्रा बाजार में किसी भी अस्थिरता या सट्टा गतिविधियों से बचा जा सके।

❖ **भारत में विनिमय दर प्रणाली का विकास:**
स्वतंत्रता के बाद से भारत में विनिमय दर प्रणाली में व्यवस्थित परिवर्तन हुए हैं। निर्धारित विनिमय दर प्रणाली से लेकर 1993 में उदारीकरण के बाद बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को वर्तमान स्वरूप तक देखा गया है।

भारत में विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Exchange Rate in India):
1. **भारतीय रिज़र्व बैंक की हस्तक्षेप (RBI Intervention):**
जब विनिमय दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता है, तो **RBI** इसे नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करता है।
उदाहरण के लिए, यदि भारतीय रुपया बहुत अधिक अवमूल्यित होता है, तो **RBI** डॉलर बेचता है, और जब रुपया बहुत अधिक सराहना करता है तो डॉलर खरीदता है।
2. **मुद्रास्फीति दर (Inflation Rate):**
मुद्रास्फीति की वृद्धि से विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ सकती है, जिससे घरेलू मुद्रा की विनिमय दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि पेट्रोलियम तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी, जिससे भारतीय रुपया कमजोर होगा।
3. **ब्याज दरें (Interest Rates):**
सरकारी बांड, निगमित बांड आदि पर ब्याज दरें विदेशी मुद्रा के प्रवाह को प्रभावित करती हैं।
यदि सरकारी बांडों पर ब्याज दरें अन्य देशों के मुकाबले अधिक होती हैं, तो विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा, और यदि ब्याज दरें कम होती हैं, तो यह विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह का कारण बन सकता है।
4. **निर्यात और आयात (Exports and Imports):**

निर्यात और आयात विनिमय दर पर प्रभाव डालते हैं।
निर्यात से विदेशी मुद्रा मिलती है, जबकि आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है।
इसलिए, यदि निर्यात बढ़ता है, तो राष्ट्रीय मुद्रा मजबूत होती है, जबकि आयात बढ़ने से मुद्रा का अवमूल्यन होता है।

❖ भारत में विनिमय दर प्रणाली (Exchange Rate Regimes in India)

विनिमय दर प्रणाली उस नियमों का सेट होती है जो घरेलू मुद्रा के विदेशी मुद्राओं के साथ विनिमय (Exchange) का निर्धारण करती है।

विनिमय दर प्रणाली के प्रकार (Types of Exchange Rate Regimes):

1. फ्लोटिंग या लचीली विनिमय दर (Floating or Flexible)
2. निश्चित या संलग्न विनिमय दर (Fixed or Pegged)
3. प्रबंधित फ्लोट / गंदा फ्लोट (Managed Float / Dirty Float)

अस्थिर या लचीली विनिमय दर (Floating or Flexible Exchange Rate):

फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर को बाजार की आपूर्ति और मांग के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
इस प्रणाली में, न तो सरकार और न ही केंद्रीय बैंक विनिमय दर में हस्तक्षेप करते हैं, और बाजार को स्वतंत्र रूप से घरेलू मुद्रा की वास्तविक मूल्य तय करने का अवसर मिलता है।

फायदे:

- यह प्रणाली विदेशी निवेशकों में विश्वास स्थापित करती है, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश बढ़ सकता है।
- यह प्रणाली देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF से ऋण प्राप्त करने में मदद करती है।

चुनौतियाँ:

- **मुद्रा सट्टा (Currency Speculation):** जब कोई व्यक्ति डॉलर या अन्य विदेशी मुद्राओं को खरीदता है, यह उम्मीद करता है कि भविष्य में उनका मूल्य बढ़ेगा, जिससे वह मुनाफा कमा सके। ऐसे तत्व विनिमय दर को विकृत कर सकते हैं।
- **ब्याज दरें (Interest Rates):** यदि किसी देश में ब्याज दरों में वृद्धि होती है (जैसे, अमेरिका के रेट में बढ़ोतरी), तो निवेशक अपनी मुद्रा को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आता है।

उदाहरण:

यदि भारतीय लोग कच्चे तेल, सोना, या आईफोन आयात करना चाहते हैं और अमेरिकी लोग भारतीय सामान खरीदने में रुचि नहीं रखते हैं, तो डॉलर की मांग अधिक होगी।
इसलिए, डॉलर का मूल्य बढ़ सकता है, उदाहरण के लिए: **$1 = ₹50 → $1 = ₹70**। इस स्थिति में, यदि रुपया कमजोर होता है, तो इसे "अवमूल्यन" (Depreciation) कहा जाता है। वहीं, अगर रुपये की ताकत बढ़ती है, तो इसे "मूल्यवृद्धि" (Appreciation) कहा जाता है।

निश्चित या संलग्न विनिमय दर (Fixed or Pegged Exchange Rate):

इस प्रणाली में, सरकार या केंद्रीय बैंक पूरी तरह से मुद्रा की विनिमय दर के निर्धारण में हस्तक्षेप करते हैं। इसे **गोल्ड या अन्य प्रमुख मुद्राओं (जैसे अमेरिकी डॉलर) से जोड़ा जाता है।**
उदाहरण के लिए, चीन का केंद्रीय बैंक **पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBC)** ने डॉलर से युआन की विनिमय दर को निश्चित किया है, जैसे **$1 = 6 युआन**। जब ज्यादा डॉलर चीन में आते हैं, तो PBC अधिक युआन छापता है ताकि डॉलर को अपने पास रख सके और युआन की कीमत बढ़ने से रोक सके।

फायदे:

यह प्रणाली विनिमय दर में स्थिरता सुनिश्चित करती है और घरेलू मुद्रा को अत्यधिक अवमूल्यन या मूल्यवृद्धि से बचाती है।

चुनौतियाँ:

- यह प्रणाली सरकार पर भारी दबाव डालती है, क्योंकि विनिमय दर को बनाए रखने के लिए उसे काफी वित्तीय संसाधनों का निवेश करना पड़ सकता है।
- यदि व्यापार घाटा बढ़ता है, विदेशी निवेशक डॉलर का जमावड़ा करते हैं, या ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, तो केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। इस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है।

अधिकांश देशों ने 1970 के दशक के बाद इस प्रणाली को छोड़ दिया, और चीन ने भी अंततः इसे छोड़कर प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली को अपनाया।

प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर (Managed Floating Exchange Rate):

यह प्रणाली निश्चित विनिमय दर और फ्लोटिंग विनिमय दर के बीच का मध्य मार्ग है। इस प्रणाली में, बाजार को विनिमय दर तय करने दिया जाता है, लेकिन संकट की स्थिति में केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करके विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBC) सामान्य परिस्थितियों में विनिमय दर को बाजार

SDR के मूल्य की गणना (1 SDR के बराबर कितने डॉलर):

1. **वर्तमान विनिमय दर** (समीपकृत रूप में):
   - USD = 1 (चूंकि हम मूल्य डॉलर में निकाल रहे हैं)
   - EUR = 1 EUR = 1.10 USD (अनुमानित)
   - CNY = 1 CNY = 0.14 USD
   - JPY = 1 JPY = 0.0075 USD
   - GBP = 1 GBP = 1.30 USD
2. **गणना** (वजन * विनिमय दर):
   (वजन * विनिमय दर) वाले सूत्र को लागू करके, IMF 1 SDR = कितने डॉलर का मान प्राप्त करेगा? वर्तमान में, 1 SDR = $1.40 = ₹ 98 (यह मानते हुए कि $1 का कारोबार ₹ 70 पर हो रहा है)।**कुल मूल्य**:
   इस प्रकार, **1 SDR** का मूल्य लगभग **$1.40** है, यदि हम वर्तमान विनिमय दरों को ध्यान में रखते हैं।

SDR का उपयोग:

1. **SDR का व्यापार**: SDR सामान्य रूप से एक मुद्रा नहीं है जिसे देशों के बीच सामान्य लेन-देन में उपयोग किया जा सकता है, बल्कि यह एक आरक्षित संपत्ति के रूप में कार्य करता है। सदस्य देश SDRs का आदान-प्रदान कर सकते हैं और इनका उपयोग बैलेंस ऑफ पेमेंट (BoP) या आर्थिक संकट के दौरान किया जा सकता है।
2. **भारत का SDR कोटा और मतदान अधिकार**: भारत का SDR कोटा 2016 में बढ़ाया गया था, और अब भारत का कोटा लगभग 2.75% है, जिसके अनुसार भारत को लगभग 13 अरब SDR आवंटित किए गए हैं। इस में से 25% को रिजर्व ट्रांछ पोजीशन (RTP) के रूप में रखा जाता है।
   भारत का IMF में वोटिंग अधिकार उसके SDR कोटा योगदान के अनुसार होता है, और यह अधिकार भारत के वित्त मंत्री द्वारा IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कार्यान्वित किया जाता है। यदि वित्त मंत्री अनुपस्थित होते हैं, तो RBI गवर्नर को वैकल्पिक गवर्नर के रूप में मतदान का अधिकार मिलता है।

रुपये की रूपांतरणीयता और RBI की भूमिका

भारत में प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली (Managed Floating Exchange Rate System) लागू है, जिसमें विनिमय दर आमतौर पर बाजार के बलों (आपूर्ति और मांग) द्वारा निर्धारित की जाती है। हालांकि, अत्यधिक उतार-चढ़ाव की स्थिति में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हस्तक्षेप करता है और ₹ या $ का व्यापार करके विनिमय दर को स्थिर करने का प्रयास करता है।

रुपये की रूपांतरणीयता पर RBI के द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंध:

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA):
FERA को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो विदेशी मुद्रा विनियमों को अधिक लचीला बनाता था और वर्तमान खाता लेन-देन को सरल बनाता था, लेकिन **राजधानी खाता** (Capital Account) पर प्रतिबंध लगाता था।

रुपये की रूपांतरणीयता:

1. **पूंजी खाता लेन-देन (Capital Account Transactions)**:
   - बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ECB): भारतीय कंपनियां $750 मिलियन तक की राशि उधार ले सकती हैं, लेकिन इससे अधिक राशि को भारत में नहीं लाया जा सकता। अगर कोई यह राशि अवैध तरीके से लाने की कोशिश करता है (जैसे हवाला के माध्यम से), तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) कार्रवाई कर सकता है।
   - विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI): FPI के पास भारत में सरकारी प्रतिभूतियों में 5% से अधिक और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 20% से अधिक निवेश करने का अधिकार नहीं है।
   - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI): FDI पर भी प्रतिबंध होते हैं, और सरकार अपनी नीति के अनुसार विदेशी निवेशकों को तय करती है कि वे किस क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं और क्या उन्हें रुपये में रूपांतरित किया जा सकता है या नहीं।
2. **वर्तमान खाता लेन-देन (Current Account Transactions)**: भारत का रुपया वर्तमान खाता लेन-देन में पूरी तरह से रूपांतरित योग्य है (जैसे, आयात और निर्यात, रेमिटेंस, उपहार और दान)। हालांकि, कुछ विशेष प्रतिबंध जैसे 80:20 नियम के तहत गोल्ड आयात पर प्रतिबंध था (2013-2014 में), जिसमें कम से कम 20% आयातित सोने को निर्यात करना होता था।

FCRA 2010 उल्लंघन:

FCRA (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) 2010 का उद्देश्य भारत में गैर-लाभकारी संगठनों (NGOs), विश्वविद्यालयों, और अन्य संस्थाओं को विदेशी दान स्वीकार करने के लिए विनियमित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी धन का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाए।

क्यों जरूरी है FCRA? अगर एनजीओ / विश्वविद्यालयों को बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी दान स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है, तो वे विदेशी शक्तियों, जैसे ISI (पाकिस्तान), चीन, या CIA के प्रभाव में आ सकते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। गृह मंत्रालय (MHA) इन संस्थाओं को FCRA 2010 के तहत पंजीकरण और वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अनिवार्य करता है। यदि कोई संस्थान इस नियम का पालन नहीं करता, तो उसे विदेशी दान स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यह कदम राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है,

जिसे आर्थिक दृष्टिकोण से भिन्न समझा जाना चाहिए, जैसे कि रुपये की रूपांतरणीयता के मामले में FEMA कानून।

रुपये की पूर्ण रूपांतरणीयता:

अर्थ – भारत को वर्तमान खाता और पूंजी खाता दोनों के लिए भारतीय रुपया (₹) को विदेशी मुद्रा में अनियंत्रित रूप से परिवर्तित करने की अनुमति देनी चाहिए। इससे भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को बढ़ावा मिलेगा, जो ***एनपीए समस्या*** के समाधान, नई फैक्ट्रियों, रोजगार सृजन, और जीडीपी वृद्धि में सहायक होगा।

इसके पक्ष में तर्क (For Arguments):

यदि भारत रुपये को पूरी तरह से रूपांतरित करने की अनुमति देता है, तो इससे विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और भारत में निवेश का प्रवाह बढ़ेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।

विरोधी तर्क (Anti-Arguments):

हालांकि, कुछ देशों ने पूरी पूंजी खाता रूपांतरणीयता (Full Capital Account Convertibility) की अनुमति दी थी, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और संकट का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से 1997 के एशियाई वित्तीय संकट में, जहां दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों ने पूंजी खाता रूपांतरणीयता को अपनाया था, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ।

- ***1997 एशियाई वित्तीय संकट:*** इन देशों ने पूंजी खाता रूपांतरणीयता की अनुमति दी थी, जिसके कारण विदेशी निवेशक हॉट मनी (गर्म पैसा) को भारत या अन्य देशों से निकालकर डॉलर में बदलने लगे। इससे इन देशों की मुद्रा की भारी मूल्यह्रास हुआ। उदाहरण के तौर पर,
  इंडोनेशियाई रुपया का विनिमय दर $1 = 2000 इंडोनेशियाई रुपया से बढ़कर $1 = 18,000 रुपया हो गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति, राजनीतिक अस्थिरता, और सामाजिक अशांति हुई।
- इसके बाद, इन देशों की केंद्रिय बैंकों के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था, जिससे वे इस संकट का सामना नहीं कर पाए और 1998 में इन देशों का GDP नकारात्मक दर (-13.7%) में चला गया। इसके विपरीत, भारत और चीन ने इस समय में अपनी मजबूत मुद्रा नीति के कारण 6-8% की वृद्धि दर्ज की।

***S.S. Tarapore* समिति (1997) का सुझाव:**

इस समिति ने भारत को सुझाव दिया था कि पूर्ण पूंजी खाता रूपांतरणीयता (CAC) को केवल तब लागू किया जाए जब भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे मजबूत हों, जैसे कि:

1. RBI के पास छह महीने के आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा होनी चाहिए।
2. राजकोषीय घाटा GDP का 3.5% से अधिक न हो।
3. मुद्रास्फीति 3-5% के बीच हो।
4. बैंकों के NPA (Non-Performing Assets) को उनके कुल संपत्तियों का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

इस समिति का मानना था कि इस समय के लिए पूर्ण पूंजी खाता रूपांतरणीयता को लागू करना भारत के लिए सुरक्षित नहीं होगा।

रुपये की रूपांतरणीयता और RBI सुधार (2004-2019):

हालांकि RBI ने पूरी रुपये रूपांतरणीयता (Capital Account) को अभी तक अनुमति नहीं दी है, लेकिन इसने वर्षों में कई सुधार किए हैं और रुपये की रूपांतरणीयता को अधिक लचीला बनाया है। उदाहरण के लिए:

- ***विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)*** की सीमा को नियंत्रित किया गया, ताकि ज्यादा विदेशी निवेशकों को भारत के वित्तीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति मिल सके।
- ***बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ECB)*** की नीति को लचीला किया गया, जिससे भारतीय कंपनियों को विदेशी पूंजी प्राप्त करने में आसानी हो।
- ***निवेश के नियम*** में बदलाव किए गए हैं, जिससे भारतीय बाजार में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ा है।

उदारीकृत धन प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme (LRS))और RBI के सुधार 2004:

LRS का उद्देश्य भारतीय निवासियों को विदेशों में लेन-देन करने के लिए एक आसान और लचीला तरीका प्रदान करना था। इसके तहत, भारतीय निवासी (जिसमें बच्चे भी शामिल हैं) हर वित्तीय वर्ष में अधिकतम $2,50,000 (या अन्य मुद्राओं में समकक्ष राशि) तक की राशि बाहर भेज सकते हैं। इस योजना के तहत राशि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है:

- विदेश में शिक्षा शुल्क (college fees)
- शेयर, बॉन्ड्स, और संपत्तियां खरीदना
- विदेशी बैंक खातों में जमा करना

यह योजना भारतीय निवासियों को वैश्विक वित्तीय दुनिया में और व्यक्तिगत निवेश में भाग लेने के लिए एक अवसर देती है।

विवाद:

हालांकि, इस योजना के तहत कुछ विवाद भी उठे हैं। पनामा पेपर्स के अनुसार, कुछ बॉलीवुड हस्तियों ने इस LRS खिड़की का उपयोग करके भारत से धन विदेश भेजा और उन धनराशियों को शेल कंपनियों के जरिए टैक्स हेवन्स (जैसे स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स आदि) में स्थानांतरित किया। इसके बाद, इन शेल कंपनियों का उपयोग टैक्स

- सिंचाई विस्तार और बीज प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ इनकी उपज में वृद्धि और स्थिरता आई है।
- लगभग दो-तिहाई क्षेत्र सिंचित है और ये तिलहन फसलें देश के कुल कृषि क्षेत्र का केवल 2.5 प्रतिशत भाग घेरती हैं।
- राजस्थान इन फसलों का लगभग एक-तिहाई उत्पादन करता है, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। हरियाणा और राजस्थान में इनकी उपज तुलनात्मक रूप से अधिक होती है।

सोयाबीन (Soyabean)

- सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाई जाती है।
- ये दो राज्य देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा उत्पादन करते हैं।

सूरजमुखी (Sunflower)

- सूरजमुखी की खेती मुख्य रूप से कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के आस-पास के क्षेत्रों में होती है।
- यह उत्तर भारत में एक मामूली फसल है, लेकिन यहां इसकी उपज अधिक होती है।

तिल (Sesamum)

- भारत दुनिया का एक-तिहाई तिल उत्पादन करता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- चूंकि यह एक वर्षा आधारित खरीफ फसल है, इसलिए इसका उत्पादन समय-समय पर बदलता रहता है।
- तिल भारत के लगभग सभी हिस्सों में उगाया जाता है।
- पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है (भारत के कुल उत्पादन का एक-तिहाई)। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि हैं।

नकदी फसलें (Cash Crops)

- नकदी फसलें वे फसलें हैं जिन्हें बाजार में बिक्री के लिए उगाया जाता है। जैसे कपास, जूट, तम्बाकू, castor, तिलहन, गन्ना आदि।
- ये फसलें कुल कृषि क्षेत्र का केवल 15 प्रतिशत भाग घेरती हैं लेकिन इनका कृषि उत्पादन में मूल्य के हिसाब से 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होता है।

❖ **कपास (Cotton)**

- **प्रकार:** कपास मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है।
- **अनुकूल परिस्थितियाँ:**
  - **तापमान:** 21-30°C के बीच।
  - **वर्षा:** लगभग 50-100 सेंटीमीटर।
  - **मिट्टी प्रकार:** अच्छे जल निकासी वाली गहरी काली मिट्टी (रेगुर-लावा मिट्टी) जो डेक्कन पठार, मालवा पठार और गुजरात की मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है।
- **विस्तार:**
  - यह एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है जो खरीफ मौसम में देश के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है।
  - भारत में दोनों प्रकार की कपास उगाई जाती है: छोटी प्रकार की कपास (भारतीय) और लंबी प्रकार की कपास (अमेरिकन), जिसे 'नमी' कहा जाता है, खासकर उत्तर-पश्चिमी भारत में।
  - कपास देश के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 4.7 प्रतिशत भाग घेरता है।

- **भारत में उत्पादन:**
  भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है (2018-19 के आंकड़ों के अनुसार)।
  लगभग 65 प्रतिशत कपास क्षेत्र वर्षा आधारित होता है, जिसमें वर्षा असमान और अव्यवस्थित होती है। यह फसल कीटों और रोगों के गंभीर हमलों का शिकार होती है।
- **कपास उत्पादन क्षेत्र:**
  प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र तीन भागों में बांटे जा सकते हैं:
  1. उत्तर-पश्चिम: पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्से।
  2. पश्चिम: गुजरात और महाराष्ट्र।
  3. दक्षिण: आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के पठार।

  मुख्य उत्पादक राज्य: गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसके बाद महाराष्ट्र आता है (2018-19 के आंकड़े)।
  श्रम - चूंकि कपास की तुड़ाई अब तक यांत्रिक रूप से नहीं की जाती, इस कारण इसके लिए सस्ते और प्रभावी श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

कपास के प्रकार (Types of Cotton)

1. **लंबी रेशमी कपास (Long Staple Cotton)**
- **रेशमी लम्बाई:** 24 से 27 मिमी के बीच।
- **विशेषताएँ:** यह कपास की रेशमी होती है, जो महीन और चमकदार होती है। इसे उच्च गुणवत्ता के कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **उत्पादन:** भारत में कुल कपास का लगभग आधा हिस्सा लंबी रेशमी कपास का है।
- **मुख्य उत्पादक राज्य:** पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश।

2. **मध्यम रेशमी कपास (Medium Staple Cotton)**
- **रेशमी लम्बाई:** 20 मिमी से 24 मिमी के बीच।
- **विशेषताएँ:** यह कपास का एक सामान्य प्रकार है।

- **उत्पादन:** भारत में कुल कपास उत्पादन का लगभग 5% प्रतिशत हिस्सा मध्यम रेशमी कपास का है।
- **मुख्य उत्पादक राज्य:** राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र।

3. छोटी रेशमी कपास (Short Staple Cotton)

- **रेशमी लम्बाई:** 20 मिमी से कम।
- **विशेषताएँ:** यह कम गुणवत्ता की कपास होती है और सस्ते कपड़े बनाने के लिए उपयोग की जाती है।
- **उत्पादन:** भारत में कुल कपास का लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा छोटी रेशमी कपास का है।
- **मुख्य उत्पादक राज्य:** उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब।

4. बीटी कपास (Bt Cotton)

- **विशेषताएँ:** Bt कपास में Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया की एक जीन की संशोधन से उत्पन्न होने वाली एक विषैली सामग्री (Bt toxin) होती है, जो कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों (बोलवर्म) से बचाती है।
- **प्रारंभ:** बीटी कपास की पहली बार यूएसए में 1995 में खेती शुरू हुई थी, और भारत ने 2002 में इसे अपनाया।
- **उत्पत्ति:** चीन (1997) और भारत (2002) ने भी बीटी कपास की खेती शुरू की।

❖ **जूट (Jute)**

- **महत्व:** जूट भारत में कपास के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फाइबर फसल है।
- **विकास की परिस्थितियाँ:**
  - **वर्षा:** 120-150 सेंटीमीटर।
  - **आदर्श जलवायु:** उच्च आर्द्रता (80-90 प्रतिशत)।
- **विस्तार:**
  - यह एक नकदी फसल है जो पश्चिम बंगाल और भारत के पूर्वी भागों में उगाई जाती है।
  - विभाजन के समय, भारत ने अपने अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र (पूर्व पाकिस्तान, अब बांग्लादेश) खो दिए थे।
  - वर्तमान में, भारत दुनिया के कुल जूट उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा उत्पादित करता है।

- **उत्पादन क्षेत्र:**
  - **मुख्य राज्य:** पश्चिम बंगाल (लगभग 75% उत्पादन), बिहार और असम।
  - भारत के अन्य प्रमुख जूट उत्पादक राज्य: ओडिशा, आंध्र प्रदेश।
  - **कृषि क्षेत्र:** यह फसल देश के कुल कृषि क्षेत्र का केवल 0.5% भाग घेरती है।
- **उपयोग:** जूट का उपयोग मुख्य रूप से मोटे कपड़े, बैग, बोरे, और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है।

❖ **गन्ना (Sugarcane)**

- **उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियाँ:**
  - **तापमान:** 21-27°C (गर्म और आर्द्र जलवायु में उगता है)।
  - **वर्षा:** लगभग 75-100 सेंटीमीटर।
  - **मिट्टी प्रकार:** गहरी और समृद्ध मिट्टी (लॉयमी मिट्टी)।
- **उत्पादन:**
  गन्ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। भारत में यह फसल मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, लेकिन वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। 2018-19 में भारत पहली बार ब्राजील को हराकर सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक बन गया।
- **कृषि क्षेत्र** - गन्ने की खेती का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जबकि पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र और गुजरात भी प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।

गन्ना उद्योग का स्थानांतरण उत्तर भारत से दक्षिण भारत क्यों हो रहा है?

- **उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरण के कारण:**
  - **जलवायु:** दक्षिण भारत में अधिक स्थिर और उपयुक्त जलवायु परिस्थितियाँ हैं, जिससे गन्ने का उत्पादन अधिक और बेहतर होता है।
  - **सिंचाई:** दक्षिण में सिंचाई के बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं, जो गन्ने की खेती के लिए आवश्यक होते हैं।
  - **भूमि की उपलब्धता:** दक्षिण में कृषि भूमि की उपलब्धता अधिक है और भूमि की उपजाऊ क्षमता बेहतर है।

गन्ना उत्पादन का वितरण
(Distribution of Sugarcane)

भारत में गन्ने की खेती के तीन प्रमुख बेल्ट (क्षेत्र) पहचाने जा सकते हैं:

1. **उत्तर भारतीय बेल्ट:** उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड।
2. **पश्चिम भारतीय बेल्ट:** महाराष्ट्र, गुजरात।
3. **दक्षिण भारतीय बेल्ट:** कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।

गन्ना उत्पादन का वितरण और इसके कारण

1. सतलज-गंगा मैदानी क्षेत्र (पंजाब से बिहार)

- **क्षेत्रफल और उत्पादन** - यह क्षेत्र भारत के कुल गन्ने के उत्पादन का लगभग 60% और कुल क्षेत्र का 51% हिस्सा उत्पन्न करता है।
- **उत्पादन की स्थिति** - इस क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन कम होता है, जिसे **कम उत्पादन (Low Yield)** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Dear Aspirants, here are the our results in differents exams (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

UP Police Constable 2024 - http://surl.li/rbfyn (98 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6URO

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

whatsapp https://wa.link/6bx90g 1 web.- https://shorturl.at/SgSVX

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 563+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
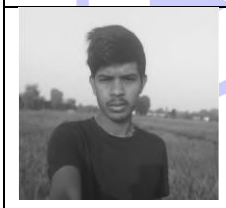	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE

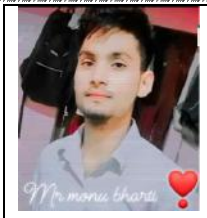	**MONU S/O KAMTA PRASAD**	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
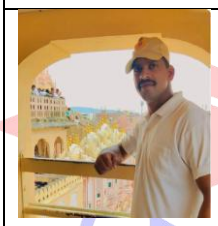	**Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel**	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379	Jind (Haryana)

And many others.....

Click on the below link to purchase notes

WhatsApp करें - https://wa.link/6bx90g

Online Order करें - https://shorturl.at/5gSVX

Call करें - 9887809083

FREE SAMPLE

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO